<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सागवाडा,जिला डूंगरपुर</u>

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार गढवाल,आर जे एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 183/2023 (सी.आई.एस.नं. 183/2023)

1– राजु पिता कचरू उम्र 35 वर्ष निवासी कुकडिया फला सागवाडा तहसील व पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

2– आदील पिता ईब्राहीम उम्र 28 वर्ष निवासी मसानिया तालाब घांचीवाडा सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

..... प्रार्थीगण–अभियुक्तगण

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नं 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंरगपुर

.....विपक्षी–अभियोगी

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>

बाबत एफ.आई. आर. संख्या 168/2023 पुलिस थाना सागवाडा

अन्तर्गत धारा– 379 भादंसं

उपस्थितिः–

1. श्री फिरोज खांन पठान, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री आजाद शाह –विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांक 04.08.2023**

1. प्रार्थी–अभियुक्तगण राजु वगैरह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागवाडा जिला डूंगरपुर के द्वारा दिनांक 31.07.2023 को अस्वीकार कर दिया जाने से व्यथित होकर यह आवेदन इस न्यायालय में पेश हुआ। जिस पर केस डायरी तलब की गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। एकमात्र कमाने वाले है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रार्थना

पत्र में दर्ज पते अनुसार स्थायी निवासी है, जिनके बाद जमानत कहीं भाग कर जाने का अंदेशा नहीं है, मौतबीर जमानतें प्रस्तुत करने को तत्पर है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अंत में जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

4. प्रार्थना पत्र पर दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक/संबंधित थानाधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अभियुक्त से पूर्व सजायाबी/पूर्व प्रकरण दर्ज होने की निम्न रिपोर्ट पेश की हैः–

कम संख्या	अभियुक्त/प्रार्थी का नाम	एफ.आई.आर. नंबर मय थाना	अपराध धारा	चार्जशीट नंबर	एफआईआर दर्ज दिनांक	गिरफ्तारी की दिनांक	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्टेज
1	राजु	131/23	457, 380 भादंसं	जैर तफ्तीश	–	–	ऐसीजेएम कोर्ट, सागवाडा	जैर तफ्तीश
2	आदील	131/23	457, 380 भादंसं	जैर तफ्तीश	–	–	ऐसीजेएम कोर्ट, सागवाडा	जैर तफ्तीश

7. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया, केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. मुलजिम राजु दिनांक 17.07.2023 से व मुलजिम आदील दिनांक 11.07.2023 से अभिरक्षा में होना फर्द गिरफ्तारी के अवलोकन से प्रकट है। उनके विरूद्ध मात्र ट्रक के टायर चोरी करने का धारा 379 भादंसं का आरोप है, जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है। प्रकरण में इन मुलजिमान से बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण की सुनवाई में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश::

6. फलस्वरूप प्रार्थीगण–अभियुक्तगण राजु पिता कचरू उम्र 35 वर्ष निवासी कुकडिया फला सागवाडा तहसील व पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर,

राजस्थान व आदील पिता ईब्राहीम उम्र 28 वर्ष निवासी मसानिया तालाब घांचीवाडा सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान की **ओर से प्रस्तुत** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद, प्रकरण की प्रत्येक सुनवाईयों पर उपस्थित रहने बाबत **25,000/–रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की दो जमानते व 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) की राशि का स्वयं का मुचलका** पेश कर तस्दीक करादें तो उसे इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No.04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail&SLP (Crl) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति प्रभारी अधिकारी, सब जेल सागवाडा को भी जरिये मेल प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में भिजवायी जावे। अनुसंधान पत्रावली लौटाई जावे।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)

7. आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)